फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध जीसीएमएस नंबर 2018/000031 बअनवान तहसीलदार बनाम भरत कुमार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
05 12/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। गवाह प्रतिवादी अनुपस्थित। गवाह प्रतिवादी को शहादत हेतु पर्याप्त समय अवसर दिये जाने के बावजूद शहादत पेश करने में विफल रहने पर शहादत प्रतिवादी का अवसर बंद किया जाता है। उपस्थित वकुलाय की धारा 177 आरटीएक्ट पर बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी श्री अमृत परिहार द्वारा दलील दी गई कि प्रार्थी द्वारा जिस भूमि के संबंध में प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, वह भूमि ग्राम पुनाडिया के खसरा नंबर 114 रकबा 2.0000 हेक्टर प्रतिवादी की खातेदारी भूमि दर्ज है। खातेदार द्वारा अपनी उक्त भूमि में से 30×50=1500 वर्गफीट का ढाबा प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही है। जिसके लिये प्रतिवादी द्वारा भूमि रूपांतरण की पत्रावली श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत कर रखी है। धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मूल उद्देश्य अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग/उपभोग हेतु रूपांतरण करवाने का मूख्य उद्देश्य है, बेदखली का उददेश्य नही है। इसके साथ ही प्रार्थी तहसीलदार बाली का आवेदन अवधि बाधित होने से काबिल खारिज है। वादी पैरोकार सरकार द्वारा दलील दी गई कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुती के समय प्रतिवादी द्वारा अपनी धारित कृषि भूमि पुनाडिया के खसरा नं 114 कुल रकबा 2.00 हैक्टर के 30×50=1500 वर्गफीट भू–भाग पर होटल सांवरिया नाम से अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने से पटवारी हल्का कोट बालियान व निरीक्षक भू. अ. मुण्डारा की मौका रिपोर्ट दिनांक 23.02.2018 के आधार पर तहसीलदार बाली द्वारा वर्णित भूमि में धारा 177 राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होने से प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण संस्थापित होने के प्श्चात आदिनांक तक प्रतिवादी खातेदार द्वारा धारित भूमि जिस पर होटल चलायी जा रही है उसके संपरिवर्तन का कोई आदेश प्रस्तुत नही किया गया है। जिससे प्रकरण में धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन होने से वर्णित भूमि को राजकीय सिवायचक कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने की दलील दी गई। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन व उभयपक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के प्श्चात हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि ग्राम पुनाडिया स्थित भूमि खसरा नंबर 114 रकबा 2.0000 हेक्टर प्रतिवादी भरतकुमार पुत्र जीवनदास बैरागी की	

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	खातेदारी कृषि भूमि है। वादी तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संलग्न मौका फर्द दिनांक 23.02.2018 में उल्लेखित तथ्यों एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों से प्रमाणित है कि खसरा नंबर 114 कुल क्षेत्रफल 2.00 हैक्टर में 30×50=1500 वर्गफीट भू–भाग पर होटल सांवरिया के नाम से ढाबा चलाया जा रहा है। जिस तथ्य को वादी पक्ष के गवाह पीडब्लु–1 दौलतसिंह राठौड पुत्र सज्जनसिंह राठौड पटवारी हल्का कोट बालियान ने भी अपने बयानों में स्वीकार किया है। इस प्रकार खातेदार द्वारा अपनी धारित खातेदारी भूमि का बिना संपरिवर्तन करवाये अकृषि प्रयोजन उपयोग में लिया जाना प्रमाणित है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के प्रावधानों का उल्लंधन है। अतः ग्राम पुनाडिया के खसरा नंबर 114 कुल क्षेत्रफल 2.00 हैक्टर में 30×50=1500 वर्गफीट भू–भाग को राजकीय सिवायचक घोषित कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाली आदेश की पालना में भूमि सिवायचक दर्ज कर कब्जा बहक सरकार लेकर पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे। आदेश प्रति तहसीलदार बाली को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

वादी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली जिला पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादी :–

भरत कुमार पुत्र जीवनदास जाति साद निवासी बाली तहसील बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2018/00131
वाद अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष पेरोकार सरकार व प्रतिवादी अधिवक्ता मिनजानिब प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वादी तहसीलदार, बाली का वाद अंतर्गत धारा 177 आर.टी.ए.स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि ग्राम ग्राम पुनाडिया के खसरा नंबर 114 कुल क्षेत्रफल 2.00 हैक्टर में 30×50=1500 वर्गफीट भू–भाग को राजकीय सिवायचक घोषित कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05-12-24 को जारी किया गया।

मोहर

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली